गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : (क) अपेक्षित आंकड़े नीचे दिये गये हैं :–

वर्ष	मृत व्यक्तियों की संख्या	संबंधित थाना
1985	5	1. यमुना पुरी 2. पटेल नगर 3. पहाड़ गंज 4. नांगलोई
1986	5	1. आनन्द पर्वत 2. नजफगढ़ 3. शकरपुर 4. पटल नगर 5. श्रीनिवासपुरी
1987	2	1. विवेक विहार 2. पटेल नगर

(ख) और (ग) 1986 के 3 मामलों में मरणोपरांत जांच के बाद पुलिस अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है । आपराधिक मामले दर्ज किये गये हैं और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है । अन्य मामलों में जिनमें मरणोपरांत जांच पूरी हो गयी है, किसी पुलिस अधिकारी को जिम्मेवार नहीं पाया गया है ।

Amendment in the Income Tax Act

1609. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Associated Chambers and Industry of India has urged changes in the Income Tax Act;

(b) whether the Central Government have since examined the suggestions of the ASSOCHAM; and

(c) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF REVENUE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI AJIT PANJA): (a) to (c) Representative associations like the Associated Chambers of Commerce and Industry of India make representations from time to time suggesting changes in various direct tax enactments. These suggestions are always carefully examined for appropriate action.

उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम का कारोबार

1610. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम के कारोबार की स्थिति क्या है ;

(ख) वर्ष 1987–88 के दौरान उत्तर प्रदेश में जीवन बीमा निगम द्वारा बीमा कारोबार के लिये एकत्र की गई धनराशि में कुल कितनी वृद्धि हुई है और क्या इस अवधि में एजेंटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश के लोगों के आर्थिक उत्थान में जीवन बीमा निगम द्वारा अदा की गई भूमिका का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फलेरियो) : (क) उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के नये कारोबार में वृद्धि हो रही है जैसा

कि नीचे दिये गये आंकड़ों से पता चलता है:—

वर्ष	बीमित राशि (करोड़ रुपये)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
व्यक्तिगत बीमा		
1985–86	714	28.6
1986–87	934	30.5
1987–88	1327	42.0
सामूहिक बीमा		
1985–86	1875	13.4
1986–87	2016	7.5
1987–88	2217	10.0

(ख) जीवन बीमा निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986–87 के दौरान कुल 195 करोड़ रुपये की प्रीमियम राशि एकत्रित की गई थी जो वर्ष 1987–88 के दौरान बढ़कर 240 करोड़ रुपये हो गई। एजेंटों की संख्या भी, जो 31–3–1986 को 2, 403 थी, 31–3–1987 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 24,364 हो गई।

( ) सरकार की विभिन्न समाजोन्मुख योजनाओं में धनराशि का निवेश करके, जीवन बीमा निगम उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, इन निवेशों में उत्तर प्रदेश में स्थित कम्पनियों के शेयरों और डिबेंचरों में निवेश करने के साथ-साथ आवास योजनाओं हेतु राज्य सरकार को ऋण देना, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों, तथा नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, चीनी सहकारी समितियों, राज्य बिजली बोर्डों आदि को ऋण देना सम्मिलित है। 31 मार्च, 1987 तक की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमा निगम ने उत्तर प्रदेश में कुल 609.85 करोड़ रुपये की धनराशि का निवेश किया है जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई गई 58.40 करोड़ रुपयें की राशि भी शामिल है।

उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्रीय सहायता

1611. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति का सामना करने के लिये कितनी मात्रा में केन्द्रीय सहायता/सहायता अनुदान दिया गया है और किन-किन शर्तों पर ;

(ख) इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की मांग कितनी थी ; और

(ग) इस प्रकार से उपलब्ध कराई गई सहायता के परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में क्या सुधार होने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी. के. गढवी) : (क) वर्ष 1987-88 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को सूखा राहत के लिए 155.74 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। वर्ष 1987-88 के दौरान सूखा राहत के लिए राज्य को सीमान्त धन में केन्द्र के हिस्से के 8.57 करोड़ रुपए तथा 109.52 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता दी गई थी।